भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-1150
उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2013

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1150 श्री एम0पी0 अच्युतन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे देश में दूरसंचार क्षेत्र को किस प्रकार लाभ पहुंचने की संभावना है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख) : सरकार ने दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं सहित सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का अनुमोदन किया है जिसमें 49% तक निवेश स्वयं अपनी ओर से तथा 49% से अधिक निवेश विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से किया जाना शामिल है और यह निवेश दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित लाइसेंसधारकों तथा निवेशकों द्वारा सुरक्षा एवं लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन होगा। एफडीआई की इस अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी किए जाने से पूंजी के अंतःप्रवाह को सुकर बनाने तथा मौजूदा सेवा प्रदाताओं को कम लागत पर वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

******